न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–86/2021

महम्मद हारून एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

आफताब आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
30.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 30.08.2024 को अंदर आदेश 06 नियम 17, धारा 151 एवं आदेश 01 नियम 10 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 16.07.2025 को दाखिल किया गया। वादीगण का आवेदन आज दिनांक 30.01.2026 को आदेश हेतु निश्चित है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि टंकक की भूल के चलते कुछ अंक एवं शब्द वाद पत्र में गलत दर्ज हो गया है जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है। वाद के लंबन काल में प्रतिवादियों ने विवादी भूमि को जबरन कब्जा कर फुस का झोपड़ी और करकट–छप्पर का कमरा बना लिए है जिसके सम्बन्ध में वाद पत्र में अभिकथन किया जाना और अनुतोष याचित किया जाना आवश्यक है जिसके लिए वर्तमान संशोधन आवेदन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। प्रस्तावित संशोधन लिपिकीय भूल की सुधार और वाद के लंबन काल के दौरान घटित घटना क्रम से संबंधित है जिससे वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है और प्रस्तावित संशोधन से प्रतिवादियों को कोई क्षति कारित होने वाला नहीं है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है और न्यायहित में इसे स्वीकृत किया जाना आवश्यक है अन्यथा वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद पत्र में आवेदनानुसार संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 16.07.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादीगण ने जिन तथ्यों एवं आधारों पर यह संशोधन आवेदन दिया है, वह विधिवत पोषणीय नहीं है।	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–86/2021

महम्मद हारून एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

आफताब आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 30.01.2026	वादीगण टंकक का भूल बताकर वाद पत्र का सम्पूर्ण ढाचा परिवर्तित करना चाहते है जिसकी विधि बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। वादीगण ने यह भी आधार बनाया है कि लिपकीये भूल वो वाद लम्बन के दौरान घटित घटना क्रम के आलोक में संशोधन दे रहे है जो बिल्कुल असत्य कथन है क्योंकि वादीगण ने बिल्कुल सोच समझकर वो भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी रखते हुए वाद दायर किया वो प्रतिवादी के उपस्थिति होने के पश्चात् भी ब्यान तहरीरी देने के बाद जब वाद में अपना पक्ष कमजोर पाया तो अपने वाद पत्र में संशोधन कराकर अपना पक्ष मजबुत करना चाहते है। वाद में अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित है और अधिवक्ता आयुक्त के जांच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का दुकान वो घर है। वादीगण वाजदा तब्सूम जो वादी सं0–01 की भतीजी वो वादी सं0–02 की पुत्री है। वादी सं0–02 ने एक नुमाईश दस्तावेज अपनी पुत्री यानि वादी सं0–04 के पक्ष में बैनामा किये है वो इसी लिहाज से उस समय पक्षकार बनाया गया था वो इस दृष्टिकोण से इनका इस वाद में पक्षकार बने रहना विधि सम्मत है क्योंकि इनके नाम पर भी वादग्रस्त भूमि से संबंधित आठ धूर भूमि का दस्तावेज वजूद में है। इस वाद में मजहर आलम पर वाद लाने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादीगण को संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आवेदन विशेष खर्चे के साथ खारिज करने की कृपा प्रदान करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा एक संशोधन आवेदन दिनांक 30.08.2024 को अंदर आदेश 06 नियम 17, धारा 151 एवं आदेश 01 नियम 10 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–86/2021

महम्मद हारून एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

आफताब आलम एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 30.01.2026	किया गया तथा निवेदन किया गया कि संशोधन आवेदन को स्वीकार करते हुए वादीगण को वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि पक्षकार को ऐसे किसी भी संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वाद से संबंधित प्रतीत होता हो, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। वादीगण द्वारा आवेदन में वर्णित संशोधन आवश्यक एवं साधारण प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 30.08.2024 को स्वीकार किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में आवेदनानुसार संशोधन करे। वाद दिनांक 18.03.2026 को अग्रीम वास्ते निश्चित किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	